

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 114/2022-23

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचौंची के पत्रांक- 68, दिनांक- 30.01.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक रामु महतो, पिता- स्व0 अयोध्या महतो, साकिम- मानटॉड, थाना- तोपचौंची, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- चितरपुर, मौजा नं0- 47, खाता नं0- 13, प्लॉट सं0- 2997, रकबा- 1.81 डिसमील भूमि क्रेता ठाकुर प्रसाद महतो, पिता- स्व0 भगलु महतो, साकिम- चलमुंडरी, थाना- तोपचौंची, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- तोपचौंची, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.57 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।